



कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
राजनांदगांव (छत्तीसगढ़)

क्रमांक/स्वास्थ्य/2020/364.....

राजनांदगांव, दिनांक 29/6/2020

:: आदेश ::

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर फैले कोरोना वॉयरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु युद्ध स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जिले के संदिग्ध मरीजों का सैंपल जाँच हेतु प्रेषित किया गया है जिसमें डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्र. 20 के 01 पॉजीटिव मरीज पाये जाने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं मार्गदर्शक मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के परिपालन में कोरोना वॉयरस के संक्रमण के फैलाव एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुये डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्र. 20 विकासखंड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में पॉजीटिव प्रकरण के वर्तमान निवास स्थान से 01 कि.मी. की परिधि को कन्टेन्मेंट जोन घोषित किया जाता है।

कन्टेन्मेंट जोन में निम्नानुसार कार्यवाही की जावेगी-

01. उक्त चिन्हांकित क्षेत्र अंतर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
02. प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेन्मेंट जोन में घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दर पर की जावेगी।
03. कन्टेन्मेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
04. कन्टेन्मेंट जोन अंतर्गत कोई भी व्यक्ति तालाब में नहीं नहायेगा।
05. मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।
06. कन्टेन्मेंट जोन की निगरानी हेतु लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की जावेगी।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में स्वास्थ्य की निगरानी एवं निर्देशानुसार सैम्पल इत्यादि जाँच हेतु लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
08. कम्युनिटी सर्विलेंस टीम द्वारा पॉजीटिव प्रकरण के वर्तमान निवास स्थल से चारो दिशा में 50-50 घरों का एक्टिव सर्विलेंस कर सदी, खांसी, बुखार एवं सांस लेने में तकलीफ वाले व्यक्तियों की सूची मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रेषित करेंगे।



कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

कन्टेन्मेंट जोन डोंगरगढ़ नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत चार्ज क्र. 20 विकासखंड डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव में कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रभारी अधिकारी नियुक्त किये जाते हैं-

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	सौंपे गये कार्य
1	श्री अविनाश ठाकुर 9407620657	तहसीलदार डोंगरगढ़	नोडल अधिकारी/कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग
2	श्री के. कचलामे 8269137454	मुख्य कार्यपालन अधिकारी ज.पं. डोंगरगढ़	खंड स्तर पर स्थापित नियंत्रण कक्ष में व्यवस्था,
3	श्री हेमशंकर देशलहरा 9425262312	मुख्य नगर पालिका अधिकारी, न.पा. डोंगरगढ़	प्रवेश एवं निकास सहित क्षेत्र की सेनेटाईजिंग व्यवस्था एवं आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
4	डॉ. बी.पी.एक्का 8982691671	खंड चिकित्सा अधिकारी, डोंगरगढ़	स्वास्थ्य टीम को एस.ओ.पी. अनुसार दवा, मारक, पीपीई कीट इत्यादि उपलब्ध कराना एवं बॉयो मेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन
5	श्री सुनिल साहू 9752927222	प्रभारी विकासखंड परियोजना अधिकारी, म. एवं बाल विकास विभाग डोंगरगढ़	घरों का एक्टिव सर्विलेंस
6	श्री जे.के. तिग्गा 9406223765	एस.डी.ओ., लोक निर्माण विभाग, डोंगरगढ़	केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेटिंग
7	श्री एफ.आर. कोसरिया 6261016266	विकासखंड शिक्षा अधिकारी डोंगरगढ़	घरों का एक्टिव सर्विलेंस

उपरोक्तानुसार समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ समन्वय बनाकर उक्त समस्त कार्यों का निर्वहन करेंगे।



*[Signature]*  
29/6/2020  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन को सादर सूचनार्थ।
02. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
04. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
05. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
06. आयुक्त, दूर्ग संभाग दूर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
07. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रायपुर छ.ग. की ओर सादर सूचनार्थ।
08. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ।
09. पुलिस अधीक्षक, जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
10. अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला राजनांदगांव को सूचनार्थ।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
14. जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
15. उपसंचालक, जनसंपर्क राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
16. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, डोंगरगढ़ अनुभाग, जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
17. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
18. खण्ड चिकित्सा अधिकारी, सामु.स्वा.केन्द्र डोंगरगढ़, जिला राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
19. सर्व संबंधितों .....को पालनार्थ।
20. कार्यालयीन प्रति।



  
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)